फा.सं. 28-02/2013-एनआई/डीडीIII/विविध (पार्ट 3)

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

****

5वां तल, पं. दीन दयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली
दिनांक 21 फरवरी, 2022

विषय: देश के पांच क्षेत्रों में मौजूदा बधिर कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता की परियोजना (प्रत्येक अंचल में एक कॉलेज) के संबंध में।

1. यह परियोजना देश के निम्नलिखित पांच अंचलों[1] (प्रत्येक अंचल में एक कॉलेज) में बधिर और सुनने में कठिनाई वाले लोगों के लिए मौजूदा कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है:
    i. भारत का उत्तरी अंचल
    ii. भारत का पश्चिम अंचल
    iii. भारत का दक्षिण अंचल
    iv. भारत का मध्य अंचल
    v. भारत का पूर्वी अंचल

1.1 *योजना के प्रयोजन के लिए, "बधिर कॉलेज" को "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता के साथ बधिर या सुनने में कठिनाई वाले व्यक्तियों के उत्थान के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले किसी भी कॉलेज के रूप में परिभाषित किया जाएगा"।*

1.2 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार इस परियोजना के तहत लाभार्थियों को आवश्यक रूप से बेंचमार्क दिव्यांगता के साथ बधिर या सुनने में कठिनाई होनी चाहिए।

1.3 मध्य अंचल और दक्षिणी अंचल के संबंध में इस योजना के तहत प्रत्येक में एक कॉलेज को निधियां संवितरित की गई हैं। इनमें मध्य अंचल के लिए डॉ. शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ और दक्षिण अंचल के लिए राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण संस्थान (एनआईएसएच), तिरुवनंतपुरम शामिल हैं।

1.4 उत्तर, पश्चिम और पूर्वी अंचल मौजूदा कॉलेजों में अवसंरचना के विस्तार/निर्माण के लिए हैं।

2. <u>परियोजना के उद्देश्य</u>

2.1 इस परियोजना का उद्देश्य देश में बधिर और सुनने में कठिनाई वालों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा बधिर कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि श्रवण बाधित छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उनकी रोजगारपरक अवसरों एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के समान अवसर प्रदान किए जा सकें।

[1] इस परियोजना के उद्देश्य के लिए, **उत्तरी अंचल** में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र, चंडीगढ़ और लद्दाख के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं; **पश्चिम अंचल** - गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र; **दक्षिण अंचल** - आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप; मध्य अंचल - छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश; **पूर्वी अंचल** - बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी राज्य शामिल हैं।

2.2 इस योजना को मूल रूप से 29.1.2015 को अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य श्रवण बाधित छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उच्च शिक्षा के माध्यम से रोजगारपरक अवसर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समान अवसर प्रदान करना है और 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए 29.12.2017 को संशोधित आशोधन के माध्यम से अनुमोदित किया गया था।

3. परियोजना का कार्यान्वयन

3.1 इस योजना को अब 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए डीईपीडब्ल्यूडी के तहत अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई (इसमें इसके बाद एवाईजेएनआईएसएचडी (डी)) के माध्यम से लागू की जाने वाली परियोजना के रूप में नवीनीकृत किया जा रहा है।

3.2 लागू करने हेतु कार्यनीति

एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) इस योजना की नोडल एजेंसी होगी जिसे निम्नलिखित कार्य सौंपे जाएंगे, लेकिन इनका कार्य इन तक सीमित नहीं होगा:

- प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों के साथ-साथ अपनी वेबसाइटों पर विज्ञापन जारी करना।
- आवेदनों की जांच करना।
- आवेदनों का मूल्यांकन करना।
- अनुप्रयोगों (एप्लिकेशन) में सुधार करने और अतिरिक्त इनपुट की सिफारिश करना।
- बधिर कॉलेजों को पूरी प्रक्रिया में मेंटर की भूमिका।
- एक मॉनिटरिंग निकाय के रूप में कार्य करना और सरकार को निर्धारित प्रारूप में नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- आवेदक एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद एवाईजेएनआईएसएचडी(डी) को व्यवहार्यता अध्ययन या मूल्यांकन अध्ययन का काम भी सौंपा जा सकता है।
- आवेदनों पर कार्रवाई करना और उन्हें विभाग के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करना।

4. परियोजना दिशानिर्देश/शर्तें

4.1 इस परियोजना में उत्तर, पूर्व और पश्चिम अंचलों से बधिरों और सुनने में कठिनाई वालो के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य/केन्द्रीय/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासित कॉलेजों को गैर-आवर्ती लागतों के लिए और डॉ. शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (मध्य अंचल) और राष्ट्रीय वाक् और श्रवण संस्थान (एनआईएसएच), तिरुवनंतपुरम (दक्षिण अंचल) को आवर्ती लागतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

4.2 प्रस्तावों को अनिवार्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को अनुशंसित करने की आवश्यकता होगी जो इसे एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) को अग्रेषित करेगा।

4.3 एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त दावे की वास्तविकता और वैधता से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद और अन्यथा, अनुदान जारी करने के लिए विभाग को इसकी सिफारिश करेगा। दावों की वैधता का पता

लगाने की जिम्मेदारी और जवाबदेही पूरी तरह से एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) के पास है और विभाग केवल एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) की व्यक्त सिफारिश पर दावों के संबंध में अनुदान जारी करेगा।

4.4 विभाग एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) से विधिवत अनुशंसित दावा (दावे) प्राप्त होने पर विभाग की स्क्रीनिंग समिति के विचार के लिए इसे प्रस्तुत करेगा (नीचे पैरा 4.10 देखें)। समिति, उचित विचार-विमर्श के बाद, उक्त दावा (दावे) के संबंध में आगे की कार्रवाई की पहचान करेगी और सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी) के विचार के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

4.5 अनुदान जारी करना

इस परियोजना के अंतर्गत, गैर-आवर्ती और आवर्ती लागतों की प्रतिपूर्ति के प्रावधान निम्नानुसार हैं:

4.5.1 **गैर-आवर्ती व्यय**

इस परियोजना के अंतर्गत, गैर-आवर्ती व्यय का संवितरण अवसंरचना के निर्माण/विस्तार, फर्नीचर/सहायक यंत्र/उपस्कर की खरीद और/अथवा फर्नीचर, कम्प्यूटरों आदि को लगाने के लिए किया जाएगा। उक्त व्यय घटक केवल उन अंचलों में स्थित कॉलेज (कॉलेजों) को वितरित किया जाएगा जिनके लिए गैर-आवर्ती अनुदान अब तक वितरित नहीं किए गए हैं, अर्थात उत्तर अंचल, पूर्वी अंचल और पश्चिम अंचल में स्थित कॉलेज (कॉलेजों) के लिए। गैर-आवर्ती व्यय के लिए अधिकतम सहायता उत्तरी अंचल, पश्चिम अंचल और पूर्वी अंचल (केवल बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों) में स्थित कॉलेज (कॉलेजों) के लिए 1.50 करोड़ रुपये तक सीमित है। यदि व्यय 1.50 करोड़ रुपये से कम है, तो स्वीकार्य सहायता वास्तविक लागत के आधार पर होगी। यदि आवर्ती लागतों के संवितरण का प्रस्ताव पूर्वोत्तर क्षेत्र (विशेषकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा तथा अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त होता है) तो अधिकतम सहायता 2.00 करोड़ रुपए है। यदि किया गया व्यय 2.00 करोड़ रुपए से कम है तो स्वीकार्य सहायता वास्तविक लागत के आधार पर होगी। इस परियोजना के तहत इन कॉलेजों के लिए कोई आवर्ती व्यय वित्त पोषित नहीं किया जाएगा।

4.5.2 **आवर्ती व्यय**

इस परियोजना के अंतर्गत आवर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति दो कालेजों को की जाएगी जिनके लिए पिछली योजना के अंतर्गत गैर-आवर्ती लागत पहले ही संवितरित की जा चुकी है अर्थात् डॉ. शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ और राष्ट्रीय वाक् और श्रवण संस्थान (एनआईएसएच), तिरुवनंतपुरम को दो वर्ष की अवधि (2021-2022 और 2022-2023) के बदले में और केवल मांग के आधार पर आवर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति शिक्षण स्टाफ और सांकेतिक भाषा दुभाषिया को वेतन के भुगतान के कारण की जाएगी, जिसके लिए अधिकतम सीमा 1.00 करोड़ रुपये या वास्तविक आधार पर, जो भी कम हो, निर्धारित की गई है।

4.6 **<u>कॉलेज भूमि का टाइटल</u>**

एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक संस्थान/कॉलेज के पास प्रस्तावित/मौजूदा कॉलेज की स्थापना/विस्तार के लिए आवश्यक सभी कानूनी बाधाओं से मुक्त भूमि पर स्पष्ट टाइटल है। यदि भूमि पट्टा धारण (लीज होल्ड) पर प्राप्त की जाती है, तो पट्टा विलेख की अवधि 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कानूनों के तहत अधिकतम अनुमत पट्टा अवधि, जो भी कम हो, होनी चाहिए।

4.7 **<u>प्रस्तावित पाठ्यक्रम</u>**

कॉलेजों द्वारा पेश किए गए स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रमों की पहचान श्रवण बाधित छात्रों के लिए उपयुक्तता के आधार पर एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) द्वारा की जाएगी। कॉलेजों को चयनित पाठ्यक्रम के लिए यूजीसी / राज्य सरकार / केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित आवश्यक अवसंरचना, उपकरणों, शिक्षण अधिगम सामग्रियों, पाठ्यक्रम आदि का पालन करना चाहिए।

4.8 **<u>भवन निर्माण समिति</u>**

4.8.1 भवन परियोजना के लिए सहायता हेतु आवेदन करने से पहले, संस्थान/कॉलेज को एक भवन समिति का गठन करना चाहिए जिसमें निम्नलिखित सदस्य:

(क) कॉलेज के प्राचार्य/प्रभारी शिक्षक।
(ख) संबद्ध विश्वविद्यालय से एक प्रतिनिधि
(ग) सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/जिला परिषद/निगम आदि के एक प्रतिनिधि (जिनका रैंक अधिशासी अभियंता के रैंक से नीचे नहीं है)।
(घ) कॉलेज के शिक्षकों से दो प्रतिनिधि।
(ङ) उपयोगकर्ता-शिक्षण विभाग का एक प्रतिनिधि।
(च) प्रशासन और लेखा प्रभाग से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि।
(छ) कॉलेज द्वारा नियुक्त किए गए वास्तुकार। व्यक्तियों/या वास्तुकार फर्म को वास्तुकला परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए और अवसंरचनात्मक सुगम्यता में अनुभवी होना चाहिए।

4.8.2 निर्माण को दिव्यांगजनों की सुगम्यता मानदंडों को पूरा करना चाहिए, जिसमें बधिर और सुनने में कठिनाई वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।

4.8.3 भवन समिति प्रस्तावित कॉलेज के लिए भवन की योजनाओं और अनुमानों को अंतिम रूप देने तथा अनुमोदित योजनाओं और अनुमानों के अनुसार भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी। साथ ही केन्द्र सरकार से प्राप्त निधि और कॉलेज से उनके अपने संसाधनों से प्राप्त निधि का समुचित उपयोग करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

4.8.4 गैर-आवर्ती गतिविधियों (निर्माण, अवसंरचना का विस्तार और फर्नीचर/सहायक यंत्र/उपकरण आदि की खरीद सहित) निधि जारी करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और भवन परियोजना की

मॉनिटरिंग/प्रगति की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होगी और स्वीकृति पत्र में निर्धारित अवधि के भीतर स्वीकृत सहायता का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.8.5 भवन समिति द्वारा केन्द्रीय सहायता से कॉलेज भवन परियोजना शुरू करने का संकल्प लेने के पश्चात्, संबंधित संस्थान/कॉलेज निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के माध्यम से एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा:

(क) भवन समिति की संरचना

(ख) कॉलेज का नाम, भवन परियोजना का नाम, भवन का प्रकार, वर्ग मीटर में शामिल क्षेत्रफल, प्रति वर्ग मीटर लागत, अनुमानों के आधार, दरों की नवीनतम अनुसूची, प्रस्तावित कॉलेज भवन के पूरा होने की अवधि, निर्माण कार्य शुरू करने की संभावित तारीख और निर्माण का तरीका अर्थात राज्य पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी या कॉलेज द्वारा स्वयं या ठेकेदार/निजी निर्माण एजेंसियों के माध्यम से इंगित करते हुए भवन समिति के प्रस्ताव की एक प्रति। संकल्प पर समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे और कॉलेज के प्राचार्य द्वारा विधिवत सत्यापन किया जाएगा।

(ग) प्राचार्य और अर्हता प्राप्त इंजीनियर/वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित विस्तृत अनुमान। जो विधिवत तैयार की गई हो भवन योजना और एक योग्य इंजीनियर / पंजीकृत वास्तुकार द्वारा हस्ताक्षरित की गई हो और भवन परियोजना समिति के प्राचार्य / शिक्षक-प्रभारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की गई हो।

(घ) श्रवण बाधित छात्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए चलाए जाने वाले प्रस्तावित कक्षाओं/पाठ्यक्रमों का विवरण।

4.9 एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) की भूमिका

यह परियोजना राष्ट्रीय संस्थान अर्थात् अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (दिव्यांगजन), मुंबई द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, क्योंकि इस संस्थान के पास श्रवण दिव्यांगता के क्षेत्र में अपेक्षित विशेषज्ञता और आंकड़े हैं। एवाईजेएनआईएसएचडी (डी), मुंबई एक गठित समिति के माध्यम से इस योजना के तहत वित्त पोषित की जा रही परियोजनाओं के संबंध में प्रगति की निगरानी भी करेगा, जिसमें निदेशक, एवाईजेएनआईएसएचडी (डी), अध्यक्ष होंगे, सदस्य सचिव के रूप में एक संकाय और 2 बाहरी विषय के विशेषज्ञ होंगे और तिमाही आधार पर संबंधित कॉलेजों से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। यह समय-समय पर इस परियोजना का निरीक्षण करेगा और इस विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

4.10 डीईपीडब्ल्यूडी में स्क्रीनिंग समिति

4.10.1 संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा संस्तुत प्रस्तावों और विभाग के माध्यम से विभाग के एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) की सिफारिशों को भी विभाग द्वारा स्क्रीनिंग समिति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

संयुक्त सचिव/उप महानिदेशक (डीईपीडब्ल्यूडी)	अध्यक्ष
संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (डीईपीडब्ल्यूडी)	सदस्य
निदेशक, एवाईजेएनआईएसएचडी	सदस्य सचिव

यूजीसी का एक प्रतिनिधि	सदस्य
उच्चतर शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
पीडब्ल्यूडी (एचआई) क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य
निदेशक/उप सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी	सदस्य
विचाराधीन राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	सदस्य

4.11 अनुदान जारी करना

सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी) के अनुमोदन के बाद, स्वीकार्य सहायता जारी की जाएगी/आवेदक संस्थान/कॉलेज को अनुमोदन सूचित किया जाएगा।

4.12 मॉनिटरिंग तंत्र और परियोजना का मूल्यांकन

परियोजना की प्रगति की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन का कार्य एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) का होगा। एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) को उन कॉलेजों से निधियों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य मांगने का अधिकार होगा जिसके लिए सहायता अनुदान की आवश्यकता (और/या अन्यथा) हैं। एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) तिमाही के आधार पर परियोजना की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन से विभाग को अवगत कराएगा। यह समय-समय पर परियोजनाओं का निरीक्षण करेगा और अर्ध-वार्षिक आधार पर इस विभाग को अपनी रिपोर्ट देगा। यह प्रगति रिपोर्ट के लिए एक प्रोफार्मा भी विकसित कर सकता है।

4.13 सामान्य शर्तें

(i) सहायता अनुदान की मांग करने वाले सभी प्रस्ताव संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के माध्यम से भेजे जाएंगे और इसके लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की सिफारिश अपेक्षित होगी। मौजूदा बधिर कॉलेजों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता की कुल सीमा 1.50 करोड़ रुपये और 2.00 करोड़ रुपये (पूर्वोत्तर के लिए) निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इसलिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार नए कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रस्ताव की सिफारिश नहीं करेगी।

(ii) सहायता प्राप्त कॉलेज विभाग से लिखित अनुमति के बिना, इस परियोजना के तहत प्रदान की गई सहायता से सृजित परिसंपत्तियों का निपटान नहीं करेगा या उसे पट्टे पर नहीं देगा या उस पर कोई शुल्क नहीं बनाएगा।

(iii) सहायता प्राप्त कॉलेज विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना कॉलेज के रूप या आधारभूत आचरण को नहीं बदलेगा।

(iv) सहायता प्राप्त कॉलेज को प्रत्येक वर्ष बधिर और सुनने में कठिनाई वाले छात्रों के लिए स्नातक स्तर हेतु सभी अपेक्षित सहायक यंत्रों/उपकरणों और सांकेतिक भाषा दुभाषियों के साथ कक्षाएं चलाने की आवश्यकता होगी।

(v) सहायता प्राप्त कॉलेज के खातों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष की जाएगी और सहायता प्राप्त कॉलेज को वित्तीय विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष के दौरान किए गए निर्माण गतिविधियों, उपकरण/फर्नीचर,

फिक्स्चर, कंप्यूटर आदि की खरीद का विवरण शामिल होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और विभिन्न विषयों, कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के विवरण के साथ-साथ वर्ष के दौरान सफलता प्राप्त श्रवण बाधित छात्रों का विवरण भी शामिल होगा।

(vi) सहायता प्राप्त कॉलेज को केंद्रीय सहायता से खरीदे गए उपकरणों/परिसंपत्तियों का एक निश्चित संपत्ति रजिस्टर और अनुदान निधि का उपयोग करके संकाय सदस्यों, सांकेतिक भाषा दुभाषियों के कर्मचारियों और प्रशासकों को भुगतान किए गए वेतन/भत्ते के विवरण का अलग रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होगी, जो किसी भी समय एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) द्वारा सत्यापन किया जा सके।

(vii) बधिर कॉलेज के संचालन के लिए संकाय, कर्मचारियों आदि की आवश्यकता है जिसके लिए आरसीआई के तहत यूजीसी संबद्धता मानकों/पंजीकरण के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(viii) समय के भीतर स्वीकृत निधियों का उपयोग करने में सफल न होने अथवा इसके दुरुपयोग, दुर्विनियोजन अथवा उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक अथवा अधिक की इच्छा के उल्लंघन के मामले में सरकार यथावश्यक समझी जाने वाली ऐसी अन्य कानूनी और/अथवा दांडिक कार्रवाई करने के अतिरिक्त ब्याज सहित संपूर्ण सहायता राशि की वसूली की हकदार होगी।

(ix) कॉलेज/संस्थान अपने वास्तविक और वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करने के लिए इस परियोजना के तहत सहायता अनुदान लागू करते समय पिछले दो वर्षों के लिए अपनी लेखा परीक्षित लेखा/वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(x) इस परियोजना के लेखों को उचित रूप से और अलग से रखा जाएगा। उन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा जांच के लिए हमेशा खुला रहेगा। वे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उनके विवेक पर एक परीक्षण जांच के लिए भी खुले रहेंगे। जीएफआर प्रावधानों के अनुसार खाते की लेखा परीक्षा की जाएगी।

(xi) यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अनुदान का उपयोग अनुमोदित प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा था/किया जा रहा है, तो भारत सरकार आगे की किस्तों के भुगतान को रोक सकती है और पहले के अनुदान (अनुदानों) को तय किए गए अनुसार तरीके से वसूल कर सकती है।

(xii) संस्थान अपने कामकाज में और विशेष रूप से भवन पर व्यय के संबंध में उचित मितव्ययिता का प्रयोग करेगा।

(xiii) भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना निर्माण की जाने वाली भवन की योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(xiv) परियोजना पर प्रगति रिपोर्ट नियमित अंतराल पर प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(xv) संस्थान/संगठन इस परियोजना के लिए एक अलग बैंक खाता खोलेगा और दूसरी किस्त के लिए आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज जैसे लेखा विवरण, लेखा परीक्षित रिपोर्ट आदि पूर्ण और निर्धारित

प्रारूप (समेकित और परियोजना के लिए) प्रस्तुत करेगा। लेखापरीक्षा रिपोर्ट समस्त रूप से पूर्ण होनी चाहिए और इसमें आवश्यक रूप से निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

(क) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

(ख) तुलन पत्र

(ग) आय और व्यय विवरण

(घ) मदवार व्यय विवरण

(ङ) अचल परिसंपत्तियों, निवेश, मौजूदा परिसंपत्तियों, वर्तमान देनदारियों, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और खाते पर नोट और लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर संगठन द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्रवाई पर सभी सहायक अनुसूची के साथ प्राप्तियां और भुगतान विवरण सहित प्राप्ति और अदायगी लेखा।

(xvi) इस परियोजना के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन/संस्थान जीएफआर 2017 में यथा निर्धारित वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करेंगे।

(xvii) आवेदक कॉलेज/संस्थान सख्ती से सभी भुगतान केवल चेक/इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से करेंगे न कि नकद में। इन लेन-देनों को परियोजना के लेखा परीक्षित खातों में विधिवत शामिल किया जा सकता है।

(xviii) केन्द्र सरकार सहायता की स्वीकृति/उसे जारी करने से पूर्व यथावश्यक समझी जाने वाली अन्य शर्तें भी निर्धारित कर सकती है।

(xix) अग्रिम में सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले कॉलेज भी आवश्यक बांड प्रदान करेंगे।

(xx) कॉलेज बधिर और सुनने में कठिनाई वाले लोगों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों के बारे में जागरूकता का कार्य करेंगे तथा बधिर और सुनने में कठिनाई वाले लोगों की उच्च शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए उपायों का प्रदर्शन और दस्तावेजीकरण भी करेंगे।

(xxi) परियोजना और इसकी शर्तें केवल पांच वर्ष की अवधि यानी 01.04.2021 से 31.03.2026 तक लागू होंगी और 01.04.2026 की अंतिम तिथि से संचालित नहीं रहेगी।

5. सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी) के अनुमोदन के बिना दिशा-निर्देशों के किसी भी खंड में कोई छूट (छूटों)/संशोधन (संशोधनों) का प्रावधान नहीं किया जाएगा। विभाग अपने विवेक के अनुसार किसी भी समय उक्त परियोजना के प्रावधानों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अनुबंध 'क'

वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए सिपडा के तहत प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत

पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि अर्थात 2021-22 से 2025-2026 के लिए सिपडा के तहत परियोजना की कुल अनुमानित लागत नीचे तालिका में दी गई है:

	घटक	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
क. कॉलेज जिनके लिए गैर-आवर्ती लागत वितरित की गई है	1. **गैर-आवर्ती व्यय: 2** कॉलेजों के मौजूदा अवसंरचना का उन्नयन/कार्यालय सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	2. **आवर्ती व्यय:** संकाय/सांकेतिक भाषा दुभाषियों के वेतन/भत्ते की प्रतिपूर्ति।	0.95 करोड़ रूपये *2 = **1.9** करोड़ रूपये (डॉ शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ और एनआईएसएच, तिरुवनंतपुरम को प्रतिपूर्ति)	0.95 करोड़*2 = **1.9** करोड़ (डॉ शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ और एनआईएसएच, तिरुवनंतपुरम को प्रतिपूर्ति)	शून्य	शून्य	शून्य	**3.80** करोड़ रूपये
	कुल	1.9 करोड़	1.9 करोड़	0	0	**0**	**3.80** करोड़ रूपये
	प्रशासनिक व्यय (5%)	**0.1 करोड़**	**0.1 करोड़**	**0**	**0**	**0**	**0.2 करोड़ रूपये**
	झ. उप – योग	**2.0 करोड़**	**2.0 करोड़**	**0**	**0**	**0**	**4.00 करोड़ रूपये**

ख. कॉलेज जिनके लिए गैर-आवर्ती लागत अभी तक वितरित नहीं की गई है	**1 गैर-आवर्ती व्यय:** मौजूदा अवसंरचना के उन्नयन/कार्यालय सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद	शून्य	उत्तर-पूर्वी अंचल **1.9 करोड़**	पूर्वी अंचल **1.43 करोड़**	पश्चिम अंचल **1.43 करोड़**	शून्य	i) उत्तर पूर्वी क्षेत्र **1.9 करोड़** ii) पूर्व और पश्चिम अंचल के लिए 1.5 करोड़ रूपये की दर से **2.86 करोड़**
	2. **आवर्ती व्यय**: संकाय/सांकेतिक भाषा दुभाषियों के वेतन/भत्ते के कारण प्रतिपूर्ति।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	**0**	**1.9 करोड़**	**1.43 करोड़**	**1.43 करोड़**	**0**	**4.76 करोड़ रूपये**
	प्रशासनिक व्यय (5%)	**0**	**0.1 करोड़**	**0.07 करोड़**	**0.07 करोड़**	**0**	**0.24 करोड़ रूपये**
	ज. उप योग	**0**	**2.0 करोड़**	**1.50 करोड़**	**1.50 करोड़**	**0**	**5.00 करोड़ रूपये**
कुल योग (झ+ज)		**2 करोड़ रूपये**	**4 करोड़ रूपये**	**1.50 करोड़ रूपये**	**1.50 करोड़ रूपये**	**0**	**9.00 करोड़ रूपये**

अस्वीकरण: आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में, 9.00 करोड़ रुपये की सीमा के साथ बजटीय प्रावधानों को पर्याप्त बजटीय परिव्यय के लचीलेपन के उद्देश्य से 5 वर्ष की पूरी अवधि में बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2021-22 से बजट सिपडा से पूरा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम वित्तीय सीमा रूपये 1.5 करोड़ (शेष भारत) और रूपये 2.00 करोड़ (पूर्वोत्तर क्षेत्र) है। निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक व्यय संस्थान अथवा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा।

अनुबंध 'ख'

परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार बधिर कॉलेज परियोजना के तहत दावों के लिए जांचबिंदु* - एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) के उपयोग के लिए

क्र.सं.	दस्तावेज	स्थिति
1	वित्त वर्ष ..... के लिए सहायता अनुदान (गैर-आवर्ती) हेतु आवेदन किया गया	
2	बधिर कॉलेज ने शैक्षणिक सत्र ..... शुरू करने हेतु प्रस्ताव	
3	आवेदक संगठन द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का विवरण	
4	सामान्य वित्तीय नियम, 2017 में यथा निर्धारित पिछला सहायता अनुदान हेतु उपयोग प्रमाणपत्र (समय-समय पर यथा संशोधित) (प्रतिपूर्ति आधार पर सहायता अनुदान जारी किया गया)	
5	पिछले दो वर्षों के समेकित लेखा परीक्षित खाते	
6	पिछले दो वर्षों के लिए संपूर्ण परियोजना लेखा परीक्षित खाता (तुलनपत्र, आय और व्यय विवरण, प्राप्ति और भुगतान विवरण)* *	
7	पिछले दो वर्षों के लिए कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट	
8	वर्तमान प्रतिपूर्ति दावा अवधि के लिए अनंतिम लेखा परीक्षित खाते	
9	लाभार्थियों की पाठ्यक्रम-वार विस्तृत सूची	
10	लाभार्थियों के यूडीआईडी कार्ड	
11	लाभार्थियों का आधार कार्ड	
12	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की सिफारिश	
13	एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) की सिफारिश	

14	एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) द्वारा प्रमाणन कि आवेदक संस्थान/कॉलेज के पास प्रस्तावित/मौजूदा कॉलेज की स्थापना/विस्तार के लिए अपेक्षित सभी कानूनी बाधाओं से मुक्त भूमि पर स्पष्ट टाइटल है (यदि भूमि पट्टा धारण (लीजहोल्ड) पर प्राप्त की जाती है, तो पट्टा विलेख की अवधि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राजस्व विभाग के कानूनों के तहत न्यूनतम 50 वर्ष या अधिकतम अनुमत पट्टे की अवधि तक जो भी कम होनी चाहिए।)	
15	जीएफआर 2017 में यथा निर्धारित वित्त वर्ष के अंत में उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी)।	

* कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त चेकलिस्ट प्रकृति में सांकेतिक है। डीईपीडब्ल्यूडी और/या एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) समय-समय पर प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ (दस्तावेजों) की पहचान कर सकते हैं

** आवर्ती सहायता अनुदान के लिए

****